मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
''पर्यटन भवन'', भदभदा रोड, भोपाल
फोनः 0755–2774341–43

क्रमांक 5918 / यॉत्रिकी / पविनि / 13
भोपाल, दिनांक 19 / 08 / 2013

<u>कोटेशन आमंत्रण सूचना 587</u>

म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सीलबंद कुटेशन, निर्माताओं / अधिकृत विक्रेताओं / मूर्ति कलाकारों एवं इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थाओं से जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किये गये हो से दिनांक 05 / 09 / 2013 को अपरान्हं 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। कुटेशन उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित कुटेशन दाता अथवा उनके प्रतिनिधि के सम्मुख खोले जावेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	यूनिट	अवधि	धरोहर राशि
1.	बुरहानपुर स्थित शिवाजी पार्क में शिवाजी महाराज एवं संत तुकाराम की साथ–साथ रेसिन बेसड कापर मेटल कोटेड (Resin Based Copper Metal Coated) प्रतिमा क्रमशः 8′6′′ एवं 9′0′′ ऊँचाई चौड़ाई समानुपातिक अस्त्र–शस्त्र वजन 200 कि.ग्रा. से कम न हो प्रतिमा को 12′ ऊॅचे पेडस्टल पर स्थापित करने का कार्य सहित।	6.00 लाख	1 नग	3 माह	12000.00

प्रस्तावित मूर्ति के चित्र हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। तथा अन्य विवरण नियम एवं शर्ते निगम की वेवसाईट www.mptourism.com से डाउनलोड की जा सकती है।

(इंजी0 जे0के0 जायसवाल)
कार्यपालन यंत्री

<u>नियम एवं शर्तेः–</u>

1. कार्य की धरोहर धन राशि म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना होगी।
2. पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो के कार्यादेश फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ही प्रदायकर्ता के कोटेशन स्वीकार किये जावेंगे।
3. सामग्री उतारने/चढ़ाने एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
4. कंडीशनल कोटेशन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
5. कोटेशन स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
6. ओवर राइटिंग/कांट–छांट वाले कोटेशन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
7. शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर काटौती उपरांत भुगतान देय होगा।
8. प्रतिमा की लागत में निगम के निर्देशानुसार पेडस्टल पर प्रतिमा स्थापित करना सम्मिलित है।
9. उक्त कार्य के देयकों से 5% की दर से प्रतिभूति धन राशि काटी जावेगी जो एक वर्ष उपरांत वापिस की जावेगी। तथा नियमानुसार आयकर आदि की कटौती की जावेगी।
10. कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है तथा भुगतान के समय चालान की छायाप्रतियॉ देना होगा।
11. आयकर का पेन नम्बर तथा सर्विस टेक्स चार्ज करने की स्थिति में सर्विस टेक्स नम्बर होना अनिवार्य है।
12. कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण न होने की स्थिति में राशि ₹5000.00 (पॉच हजार) प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगाई जावेगी।
13. मूर्ति स्थापना हेतु उपयोग होने वाली मशीनरी एजेंसी को लाना होगा तथा उसका व्यय कुटेशन में सम्मिलित होगा। निगम द्वारा अलग से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. मूर्ति तैयार होने पर उसका अवलोकन/अनुमोदन निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा किये जाने के उपरांत मूर्ति स्थापना हेतु मान्य की जावेगी।
15. प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम से अधिक होने पर अतिरिक्त वजन का भुगतान नहीं किया जावेगा।